भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2807

10 अगस्त, 2018 के लिए प्रश्न

गेहूं और चावल का प्रापण

2807. श्री संजय सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय फसलों के लिए कार्यरत मौजूदा भण्डारण सुविधाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2017-18 में राज्य एजेंसियों ने 210 मिलियन टन के उत्पादन में से केवल 71 मिलियन टन गेहूं और चावल का ही प्रापण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कम प्रापण कम भंडारण क्षमता के कारण किया गया; और

(ङ) यदि हां , तो देश में विगत तीन वर्षों के दौरान भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क): दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल के स्टॉक के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 2090 गोदाम उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग): वर्ष 2017-18 के दौरान गेहूं और चावल का कुल उत्पालदन और भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की गई खरीद निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

	उत्पादन	**खरीद**			
		भारतीय खाद्य निगम	**प्राइवेट व्यापारी**	**राज्य सरकार/ एजेंसियां**	**योग**
गेहूँ	985.12	36.09	-	272.15	308.24
चावल	1115.22*	5.13	1.57	377.64	384.35
योग					**692.54**

* कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार

......2/-

(घ) और (ङ): सामान्य खरीद मौसम के दौरान स्टॉक की अधिकतम आवश्यकता के आधार पर देश में केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के लिए अपेक्षित समग्र भंडारण क्षमता लगभग 650 लाख टन है। इसकी तुलना में दिनांक 30.06.2018 की स्थिलत्कि के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम तथा राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता (स्वयं की तथा किराए की क्षमता, दोनों) 855.98 लाख टन है, जिसमें 724.74 लाख टन क्षमता कवर्ड गोदामों में तथा 131.24 लाख टन क्षमता कवर तथा प्लिंथ (कैप) भंडारण में शामिल है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के भंडारण के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

सामान्यतः केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का अधिकतम स्टॉक प्रत्येक वर्ष 1 जून के आसपास रहता है। वर्ष 2016-18 के दौरान 1 जून की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्यी एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता और केन्द्रीय पूल में स्टॉक की तदनुरूप स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

निम्न तारीख को	एफसीआई के पास भंडारण क्षमता	एफसीआई द्वारा किराए पर ली गई भंडारण क्षमता	राज्य एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता	कुल भंडारण क्षमता	स्टॉक की स्थिति
01.06.2016	154.15	208.32	449.47	811.94	534.29
01.06.2017	154.25	207.45	421.47	783.17	555.40
01.06.2018	154.44	226.62	474.92	855.98	680.25

इस प्रकार, देश में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए समग्रतः पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

******